

संशोधन

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी शिक्षा परिषद

उत्तर प्रदेश राज्य

संख्या:- प्राविण/परिषद/सम्बद्धता/2023/1 2090001

संख्या:- दिनांक: 13-09-2023

आवृत्त संख्या

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद एवं भारतीय कंसोर्सियम ऑफ इंजीनियर्स, नई दिल्ली द्वारा वार्षिक रात्र 2023-24 हेतु पूर्व में संशोधित विषयों पर राष्ट्रीय स्तर पर अग्रणी विद्यालयों को अनुमोदन विद्यालय प्रदान किये जाने के उपरान्त प्राविणिक शिक्षा परिषद, 3-9 लखनऊ से सम्बद्धता विद्यालय प्रदान किए जाने के सम्बन्ध में संख्या: दिनांक 21-07-2023 एवं दिनांक 10-08-2023 को परिषद संशोधन से सम्बद्धता समिति की बैठक संभव हुई। बैठक में रात्र 2023-24 हेतु अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/भारतीय कंसोर्सियम ऑफ इंजीनियर्स, नई दिल्ली द्वारा संस्थाओं को प्रदान अनुमोदन विद्यालय एवं सम्बद्धता समिति द्वारा किए गए निर्णय के अनुक्रम में संस्थाओं को सम्बद्धता विद्यालय प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में किये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविणिक शिक्षा परिषद, 3-9 लखनऊ द्वारा रात्र 2023-24 हेतु नियुक्ति प्राप्त करने के अर्थ में पर्यवेक्षण एवं उसमें अग्रणी प्रवेश आदेश हेतु सम्बद्धता विद्यालय प्रदान की जाती है:-

संस्था का नाम एवं ठेका : 2237-ANDINI NAGAR MAHAVIDYALYA COLLEGE OF PHARMACY

संस्था	संस्था का नाम	संस्था की संस्थापना वर्ष 2023-24 हेतु अनुमोदन	परिषद द्वारा रात्र 2023-24 हेतु अनुमोदन
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ प्राविणिक शिक्षा, अनुक्रम-3 उत्तर प्रदेश राज्य के पत्र संख्या 311/15-3000/9/2022 टीआर0-1 दिनांक 18 मई 2023 द्वारा पूर्व में संशोधित अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/भारतीय कंसोर्सियम ऑफ इंजीनियर्स, नई दिल्ली द्वारा वार्षिक रात्र 2023-24 हेतु अनुमोदन विद्यालय प्रदान किये जाने के उपरान्त प्राविणिक शिक्षा परिषद, 3-9 लखनऊ से सम्बद्धता विद्यालय प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में संख्या: दिनांक 21-07-2023 एवं दिनांक 10-08-2023 को परिषद संशोधन से सम्बद्धता समिति की बैठक संभव हुई। बैठक में रात्र 2023-24 हेतु अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/भारतीय कंसोर्सियम ऑफ इंजीनियर्स, नई दिल्ली के संस्था के अनुक्रम संस्था में संस्था संस्थापक (सूनि, सहाय, जीव शास्त्रज्ञ) अदि संस्था है।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविणिक शिक्षा परिषद एवं 1882 तथा प्राविणिक शिक्षा परिषद विनियमवली 1882, विनियमवली-2000, संशोधित विनियमवली-2016 तथा संस्था-संस्था पर प्रवेश पर्यवेक्षण के अनुक्रम एवं राष्ट्रीय स्तर पर प्रवेश पर्यवेक्षण के अर्थ में पर्यवेक्षण एवं संस्था संस्थापक (सूनि, सहाय, जीव शास्त्रज्ञ) अदि संस्था है।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविणिक शिक्षा परिषद एवं 1882 तथा प्राविणिक शिक्षा परिषद विनियमवली 1882, विनियमवली-2000, संशोधित विनियमवली-2016 तथा संस्था-संस्था पर प्रवेश पर्यवेक्षण के अनुक्रम एवं राष्ट्रीय स्तर पर प्रवेश पर्यवेक्षण के अर्थ में पर्यवेक्षण एवं संस्था संस्थापक (सूनि, सहाय, जीव शास्त्रज्ञ) अदि संस्था है।
- ✓ संस्था में संस्था प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित किये जाने के अर्थ में पर्यवेक्षण एवं संस्था संस्थापक (सूनि, सहाय, जीव शास्त्रज्ञ) अदि संस्था है।
- ✓ संस्था को संस्था-संस्था पर निर्णय पर्यवेक्षण के अनुक्रम एवं संस्था संस्थापक (सूनि, सहाय, जीव शास्त्रज्ञ) अदि संस्था है।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रवेश पर्यवेक्षण/प्रवेश पर्यवेक्षण/प्रवेश पर्यवेक्षण एवं निर्देशक, प्राविणिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश, संस्था प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश प्राविणिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा किये गये निर्णय, विनियम, आदेश, निर्देशों का पालन करने के अर्थ में पर्यवेक्षण एवं संस्था संस्थापक (सूनि, सहाय, जीव शास्त्रज्ञ) अदि संस्था है।
- ✓ यदि संस्था का अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/भारतीय कंसोर्सियम ऑफ इंजीनियर्स, नई दिल्ली से अनुमोदन विद्यालय किये जाते हैं तो इस संस्था में संस्था संस्थापक (सूनि, सहाय, जीव शास्त्रज्ञ) अदि संस्था है।
- ✓ संस्थाओं को अनुक्रम प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा पर्यवेक्षण एवं के अर्थ में पर्यवेक्षण एवं संस्था संस्थापक (सूनि, सहाय, जीव शास्त्रज्ञ) अदि संस्था है।
- ✓ उत्तर प्रदेश संस्था द्वारा प्रवेश हेतु संस्था-संस्था पर निर्णय पर्यवेक्षण आदेश प्रवेश पर्यवेक्षण के अनुक्रम एवं संस्था संस्थापक (सूनि, सहाय, जीव शास्त्रज्ञ) अदि संस्था है।
- ✓ संस्था को अग्रणी पर्यवेक्षण तथा प्राविणिक शिक्षा के अनुक्रम एवं पर्यवेक्षण एवं संस्था संस्थापक (सूनि, सहाय, जीव शास्त्रज्ञ) अदि संस्था है।
- ✓ संस्था को विनियम-परिषद हेतु अनुमोदन संस्था संस्थापक (सूनि, सहाय, जीव शास्त्रज्ञ) अदि संस्था है।
- ✓ संस्था पर्यवेक्षण एवं संस्था संस्थापक (सूनि, सहाय, जीव शास्त्रज्ञ) अदि संस्था है।

कार्यालय

राजि. प्राविधिक शिक्षा परिषद

उत्तर प्रदेश राजधानी

संख्या - राजि.प.परिषद/सम्ब.प्रा.प.2021/13537

राजधानी दिनांक- 04/08/2021

कार्यालय ब्राह्म:

अखिल भारतीय राज्यों की शिक्षा परिषद, नई दिल्ली परामर्श काठनिता और इच्छित, नई दिल्ली द्वारा मैट्रिक वर्ष 2021-22 हेतु विधेयों का राज्य राज्यों की शिक्षा परिषदों को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश राजधानी में सम्ब.प्रा.प.सम्ब.प्रा.प. विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 04/08/2021 को परिषद कार्यालय में सम्ब.प्रा.प. समिति की बैठक कायम हुई। बैठक में समिति द्वारा वर्ष 2021-22 हेतु आरेखित नई संस्थाओं की सम्ब.प्रा.प. पूर्व से संब.प्रा.प.संस्थाओं की सम्ब.प्रा.प. विस्तार, पाठ्यक्रम, प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य शर्तों पर विचार करने हुए वर्ष 2021-22 हेतु सम्ब.प्रा.प. सम्ब.प्रा.प. विस्तार प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया।

सम्ब.प्रा.प. समिति की बैठक में विधेय नम्बर के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, 20 प्रा. राजधानी द्वारा वर्ष 2021-22 हेतु अनुमोदन प्रदान के अतिरिक्त प्रवेश क्षमता हेतु सम्ब.प्रा.प. विस्तार प्रदान की जाती है-

संस्था का कोड एवं नाम : 2237-MANDINI NAGAR MAHARAJYALYA COLLEGE OF PHARMACY, NAWABGANJ, GONDA		
संस्था	पाठ्यक्रम का नाम	एच.आई.एल.टी.आई.डी.पी.सी.आई.डी. द्वारा वर्ष 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60
		80

सम्ब.प्रा.प. हेतु शर्तें

- ✓ संस्था को एच.आई.एल.टी.आई.डी.पी.सी.आई.डी. द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करने की।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवली 1962, सेक्टर विनियमवली-2016 तथा अन्य विभिन्न नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करने तथा सुलभ निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित सुलभ तीन शर्तों प्रथम पाठ्यक्रमों हेतु वर्ष 20150.000/- प्रतिवर्ष, दो शर्तों प्रथम पाठ्यक्रम हेतु वर्ष- 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो शर्तों पाठ्यक्रमों (दो शर्तों प्रथम पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु वर्ष-22500.00/- प्रतिवर्ष सुलभ ही प्रत्येक पाठ्यक्रम से प्राप्त किया जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त संस्थाओं से सुलभ के सम्बन्ध में समझ-बूझ पर वास्तविक निर्णय किये जाने वाले कार्यक्रमों प्रस्तावों होगी, और तदनुसार कार्यालयी किये जाने आवश्यक होगा। प्रवेश निर्धारण समिति द्वारा वर्ष 2021-22 हेतु प्रवेश का पुनर्निर्धारण किया जाता है, जो संस्था को नवीकरण दे लाना होगी।
- ✓ संस्था को (2000) प्राविधिक शिक्षा अधिनियम तथा उप समिति, संस्थाओं को सम्ब.प्रा.प. कक्षा विनियमवली-2010 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आरेखित शर्तों को ही प्रवेश दिया जाएगा। शर्तों के रिजल्ट यह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जाएगी।
- ✓ संस्था को समझ-बूझ पर निर्णय आवश्यक के अनुसार निर्देशन एवं सम्ब.प्रा.प. सुलभ क्षमता करना होगा।
- ✓ संस्था को एच.आई.एल.टी.आई.डी.पी.सी.आई.डी. से आगामी वर्ष हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ उत्तर प्रदेश प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये विधिनियमों, अधिनियमों, आदेशों, निर्देशों एवं निर्देशन, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश, संयुक्त प्रदेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा बनाये गये नियमों, विधिनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।
- ✓ विद्यमान इन कर्नेली पाठ्यक्रम की संस्था पर ही पी.सी.आई. नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असफल रहती है तो इस संबंध में संस्था उत्तराधिकार संस्था का होना और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था बाध्य उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रदेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई तरह का दायर किया जाता है तथा दायर कर के संबंध में या-आवश्यकता द्वारा किसी प्रकार को प्रतिक्रिया संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो संस्था प्रतिक्रिया संबंधित संस्था को करती होगी।
- ✓ विद्यमान इन कर्नेली पाठ्यक्रम संस्थागत करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रदेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश राजधानी द्वारा प्रवेश-शर्त के लिए आगामी प्रवेश परीक्षा हेतु काठनिता प्रारंभ होने के पूर्व पी.सी.आई.आई.डी. से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध करना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (काठनिता) के संस्था से अथवा संस्था कर पर भी प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जाएगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रवेश हेतु निर्णय नवीकरण आदेशन नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक वृद्धि भूमि, स्टाफ, साधन-सामान, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला सुलभ, कक्षागत सुलभ आदि का विवरण उपलब्ध करना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षा-प्रविधिक हेतु उपर्युक्त आवश्यक उपलब्ध करने के साथ शैक्षणिक संस्था के सम्बन्ध में संस्था आवश्यक उपलब्ध सुनिश्चित करनी

दिनांक

- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित संचालित पाठ्यक्रम को बसाये जाने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख भूमि-भवन, जनशक्ति, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य महाविद्यालय के संकलन में प्रयोग किया जाता है और परिषद की इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो संस्थात संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुमति की जायेगी।
- ✓ संस्था के स्थलीय निरीक्षण दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य संचय-सम्पदा पर भारतीयसीटीआई/पीएमसीआई/परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुपालनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

दिनांक: 09/08/2021

पुस्तक- परिषदपरिषद सम्बद्धता(2021/2028-4809)

परिसर:-

एच.ए.आई.निदेशक HAN DINI NAGAR MAHAVIDYALYA COLLEGE OF PHARMACY, NAWABGANJ, GONDA



(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव